न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/228/रा.का.अधि./48/2021/बाड़मेर

अपीलांट बनाम रेस्पोंडेंटगण

1. भैराराम पुत्र किशनाराम 2. दिनेशकुमार पुत्र किशनाराम 3. श्रीमती सावरीदेवी पत्नी किशनाराम 4. मदनलाल पुत्र मानाराम 5. देवाराम पुत्र मानाराम 6. देराजराम पुत्र मानाराम 7. प्रतापाराम पुत्र मानाराम 8. ओमप्रकाश पुत्र मानाराम 9. भैराराम पुत्र मानाराम 10. मूलाराम पुत्र मानाराम जाति ब्राह्मण समस्त निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी	1. रामाराम पुत्र खेताराम 2. श्रीमती जेठी पत्नी खेताराम 3. मिश्राराम पुत्र रिड़मलराम का.मु.3/1ओमप्रकाश पुत्र मिश्राराम 3/2राधेश्याम पुत्र मिश्राराम 3/3मांगीलाल पुत्र मिश्राराम 3/4मोतीलाल पुत्र मिश्राराम 4. भैराराम पुत्र रिड़मलराम का.मु. 4/1राकेश पुत्र भैराराम का.मु. 4/1/1 वासुदेवी पुत्र राकेश उम्र 06 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुमित्रा पत्नी राकेश 4/1/2सुमित्रा पत्नी राकेश 4/2 पारस पुत्र भैराराम 4/3शांति पत्नी भैराराम 5. गंगाविशन पुत्र रिड़मलराम जातियान ब्राहमण निवासीयान बाण्ड तहसी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 6. गौतमचंद पुत्र बाबूराम 7. श्रीमती मथरोदेवी पत्नी बाबूराम 8. घमण्डाराम पुत्र पदमाराम का.मु 8/1देवाराम पुत्र घमण्डाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	8/2प्रकाश पुत्र घमण्डाराम 8/3सोहनलाल पुत्र घमण्डाराम 8/4श्रीमती कमला पत्नी घमण्डाराम 9. फरसाराम पुत्र पदमाराम 10. नरसीराम पुत्र पदमाराम 11. विरधाराम पुत्र सुखराम 12. वगताराम पुत्र सुखराम 13. चम्पालाल पुत्र सुखराम 14. निम्वाराम पुत्र चुन्नलाल का.मु. 14/1लीलाधर पुत्र निम्वाराम 14/2धनराज पुत्र निम्वाराम 14/3केसीदेवी पत्नी निम्वाराम 15. देवाराम पुत्र प्रभूराम 16. केवलचंद पुत्र प्रभूराम 17. कन्हैयालाल पुत्र प्रभूराम 18. सोहनलाल पुत्र प्रभूराम 19. श्रीमती कमला पत्नी प्रभूराम जातियान ब्राहमण निवासीयान बाण्ड तहसील गुड़ामालानी 20. श्रीमान तहसीलदार, साहव गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/2018 बअनवान भैराराम वगै. बनाम राणाराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांकः— 03.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा बाण्डु पटवार क्षेत्र बाण्डु तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59 रकबा 100 बीघा व खसरा नम्बर 408 रकबा 27.12 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 02.14 बीघा कुल रकबा 130.06 बीघा के आये हुये है जिस भूमि में वादीगण संख्या 01 से 03 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 02 से 10 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 11 से 15 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 16 से 18 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 19 से 24 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का 1/16 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार बाहामी बंटवाडा किया हुआ है व राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के मध्य हिस्से नहीं खुले हुए है तथा विधिवत रूप से वंटवाडा किया हुआ नहीं होने से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण को उतरदाता के अधिवक्ता ने धोखे में रखते हुऐ नियत पेशी तारीख से पूर्व दिनांक 31.05.2019 को पत्रावली पेशी पर लेकर एक राजीनामा व जबावदावा मय काउन्टर क्लेम पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाना हेतु पेश करवा दिया तथा उसी दिन वादी विरधाराम व प्रतिवादी मनलाल का साक्ष्य शपथ—पत्र पेश किया गया उक्त राजीनामा के आधार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2020 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2020 को पेश राजीनामा पर निम्बाराम, केवलचंद, कनहेयालाल, सोहन, कमला, मथरादेवी के हस्ताक्षर नहीं है जबकि विधि अनुसार राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर व सहमति आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण की पहचान भी किसी भी अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा अपीलांटगण की ओर से पेश वकालतनामा पर भी किसी अधिवक्ता नाम व हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि वादीगण के अधिवक्ता की धोखाधड़ी व चालाकी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही है कि समस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कार्यवाही एकपक्षीय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2016(1) Page 108
RRT 2017(1) Page 446

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा बाण्ड पटवार क्षेत्र बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 59 रकबा 100 बीघा व खसरा नम्बर 408 रकबा 27.12 बीघा, खसरा नम्बर 471 रकबा 02.14 बीघा कुल रकबा 130.06 बीघा के आये हुये है जिस भूमि में वादीगण संख्या 01 से 03 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 02 से 10 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 11 से 15 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 16 से 18 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 19 से 24 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का 1/16 हिस्सा खातेदारी का है जिसे घोषित करना न्यायोचित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2016-17(Supp.) Page 158

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि इस प्रकार प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.2020 को अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गलत रूप से जारी किया गया है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत डिक्री व निर्णय की इबारत के बारे में अपीलांटगण को तत्समय जानकारी नहीं होने दी गई तथा वर्तमान में अरसा 20–25 दिन पूर्व हल्का पटवारी व आर आई मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आये तथा भूमि की पैमाईश कर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करने लगे, जिस पर अपीलांटगण ने इस प्रकार बंटवाडा नहीं कर मोके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये वाहामी बंटवाडा के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बताकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाउा करवाने का बताया, जिस पर अपीलांटगण को अपना हक हकुक संशयप्रद लगा तो अपीलांट ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त हस्तगत निर्णय एवं डिक्री मय दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु कहा जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.07.2021 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त की तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2011(2) Page 1350

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2016-17(Supp.) Page 158

RRT 2011(2) Page 851

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजीनामा के आधार पर पारित की गई। हस्तगत अपील में अपीलांटगण द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/2018 बअनवान भैराराम वगै. बनाम राणाराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2020 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर